



श्री नरेन्द्र मोदी
प्रधानमंत्री



सत्यमेव जयते



श्री हेमंत सोरेन
मुख्यमंत्री

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी)

नई एवं उभरती तकनीक से

लाईट हाउस प्रोजेक्ट, राँची

मात्र **रु० 6.79 लाख** में अपना घर

आवासीय परियोजना की विशेषताएँ

- | लगभग 315 वर्गफीट का घर
- | बिजली, पानी, आधारभूत संरचना की सम्पूर्ण व्यवस्था
- | बैंको से आसान किस्तों में लोन
- | सोलर स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था
- | 2 पहिया, 4 पहिया पार्किंग की व्यवस्था
- | हाई स्पीड लिफ्ट्स

पात्रता

- | वैसे परिवार जो 17 जून 2015 के पूर्व से नगर निगम क्षेत्र में निवास करते हैं।
- | परिवार की सालाना आमदनी अधिकतम 3 लाख रु० हो।
- | आवेदक या उसके परिवार के नाम से भारत में कहीं पक्का मकान न हो।
- | योजना अंतर्गत लाभुक परिवार में पति, पत्नी एवं अविवाहित बच्चे शामिल होंगे।

फ्लैट की प्रमुख विशेषताएं

- विट्रीफाइड टाइल्स युक्त फ़र्श
- डिस्टेंपर युक्त रंगरोगन
- स्टेनलेस स्टील सिंक
- LED बल्ब का प्रावधान
- दीवारों पर प्लास्टर ऑफ पेरिस
- कमरों में पंखे का प्रावधान
- उच्च गुणवत्ता सेनेटरी फिटिंग
- UPVC खिड़कियां मछरदानी सहित
- रसोई में प्लेटफॉर्म के नीचे कैबिनेट
- अग्निशमन की व्यवस्था
- बेडरूम में अलमारी



हमारा सपना...
हर शहरी गरीब का हो घर अपना



परियोजना विवरण

क्र० सं०	व्यौरा	विवरण
1	परियोजना स्थल	आनि, पंचमुखी मंदिर के नजदीक, सेक्टर-01 मार्केट, धुर्वा, रांची
2	कुल आवास	1008
3	प्रति फ्लैट की लागत	रु 13.29 लाख
4	प्रति फ्लैट केंद्र सरकार का अंशदान	रु 5.5 लाख
5	प्रति फ्लैट राज्य सरकार का अंशदान	रु 1 लाख
6	प्रति फ्लैट लाभुक का अंशदान	रु 6.79 लाख
7	प्रति फ्लैट कारपेट एरिया	315 वर्ग फीट
8	भवन का निर्माण	नई एवं उभरती तकनीक '3D वॉल्यूमेट्रिक प्रीकास्ट' से लाइट हाउस प्रोजेक्ट का निर्माण
9	प्रति फ्लैट का आंतरिक विवरण	1 लिविंग रूम, 1 बैडरूम, 1 रसोई घर, 1 शौचालय, 1 बाथरूम एवं 1 बालकनी

आवेदन पत्र के साथ जमा करने हेतु आवश्यक दस्तावेज

आवेदन हेतु निम्नांकित दस्तावेज अनिवार्य होंगे-

- लाभार्थी का पहचान पत्र एवं संयुक्त धारक का पहचान पत्र (स्व सत्यापित छायाप्रति)
- लाभार्थी का पासपोर्ट साइज फोटो (3 प्रति)
- लाभार्थी का बैंक अकाउंट संख्या एवं पासबुक (स्व सत्यापित छायाप्रति)
- लाभुक सहमति पत्र (स्व हस्ताक्षरित मूल प्रति); (Consent Form)
- स्व घोषणा पत्र (स्व हस्ताक्षरित मूल प्रति)
- आधार कार्ड (स्व सत्यापित छायाप्रति)
- लाभार्थी का चालू मोबाइल नं० (आवास आवंटित होने तक सुगम संपर्क हेतु)

नोट: पहचान पत्र में ये दस्तावेज मान्य होंगे:-

पासपोर्ट/पैन कार्ड/मतदाता पहचान पत्र/राशन कार्ड/राजस्व अधिकार प्रमाण पत्र/बैंक पासबुक/बी.पी.एल कार्ड)



आवेदन कैसे करें?

- लाभार्थी नगर निगम से आवेदन फॉर्म, घोषणा पत्र एवं लाभुक सहमति पत्र प्राप्त कर उसे भरकर नगर निगम कार्यालय में जमा कर सकते हैं।
- लाभार्थी फॉर्म जमा करने के उपरांत प्राप्ति रसीद के तौर पर एक प्रति अपने पास सुरक्षित रखेंगे।

लाइट हाउस प्रोजेक्ट से संबंधित अधिक जानकारी के लिए
टॉल फ्री नं०: **1800-120-2929** पर संपर्क कर सकते हैं

अधिक जानकारी के लिए राँची नगर निगम से संपर्क करें

नगरीय प्रशासन निदेशालय,
नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखंड सरकार
Follow us on :     @JharkhandDMA
Website : dmajharkhand.in